



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11**

**लखनऊ: दिनांक 17-10-2026**

**विषय:-** जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग संख्या-84 (चैनेज 25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 कि०मी०) तथा घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 कि०मी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 कि०मी० के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-201/पी०जे०11/15पी०जे०(1)/22, दिनांक 30-07-2022, पत्र संख्या-231/पी०जे०-11/15पी०जे०/23, दिनांक 30-08-2023, पत्र संख्या-363/पी०जे०-11/15पी०जे०/23, दिनांक 13-12-2023, पत्र संख्या-813/पी०जे०-11/15पी०जे०(3)/ 23, दिनांक 24-09-2024, पत्र संख्या-328/पी०जे०11/15पी०जे०/25, दिनांक 20-11-2025, पत्र संख्या-31/पी०जे०11/15पी०जे०/26, दिनांक 29-04-2026 एवं पत्र संख्या-1/762961/2026, दिनांक 02-09-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग संख्या-84 (चैनेज 25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 कि०मी०) तथा घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 कि०मी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 कि०मी० के निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-233/2016/ 1499ई/23-11-2016-1/2(33)/2016, दिनांक 30-08-2016 द्वारा लागत रु० 29244.41 लाख की प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण कार्य की पुनरीक्षित लागत रु० 32867.26 लाख (रूपये तीन अरब अट्ठाईस करोड़ सरसठ लाख छब्बीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                                                        | मूल स्वीकृत लागत | पुनरीक्षित स्वीकृत लागत |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1        | मैनपुरी     | जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग संख्या-84 (चैनेज 25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 कि०मी०) तथा घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 कि०मी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 कि०मी० के निर्माण का कार्य। | 29244.41         | 32867.26                |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।
- 2- कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- 5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- 6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- 7- मूल्यहास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- 8- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
- 9- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 10- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु लागत का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।
- 11- प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग यथा विद्युत लाइन एवं वन विभाग हेतु धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।
- 12- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।
- 13- प्रायोजना कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना क्रियान्वयन से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

15- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमर्दों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

19- उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-233/2016/ 1499ई/23-11-2016-1/2(33)/2016, दिनांक 30-08-2016 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

20- उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0303-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यों हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-440-X-2026-27, दिनांक 16-10-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, 30प्र0 शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र0 शासन।
- 16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।